प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

प्रशासनिक आदेश संख्या : 77 /2021,   दिनांक–23.04.2021

आदेश

कोविड–19 के बढ़ते केसेस को दृष्टिगत् रखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने पूर्व पत्र सं0–1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–05.04.2021 व पत्र सं0–1944/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–14.04.2021 में दिए गए निर्देशें में आंशिक संशोधन करते हुए पत्र सं0–1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/: Allahabad, दिनांकित–22.04.2021 के माध्यम से न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र सं0–1941 व 1944 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु पारित किए गए प्रशासनिक आदेश सं0–53/2021 व 60/2021 में , माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्र सं0–1945, दिनांकित–22.04.2021 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के अनुसार जनपद न्यायालय, सम्भल में दिनांक–24.04.2021 से निम्नलिखित न्यायालय Physical mode/Virtual mode /Video conferencing के माध्यम से निम्न वर्णित न्यायिक कार्य निष्पादित करेंगे–
   - ए. न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/परिवार न्यायालय,
   - बी. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/विद्युत अधिनियम,
   - सी. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(रेप एण्ड पॉक्सो)/विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी.एक्ट./गैंगस्टर एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट
   - डी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
   - ई. न्यायालय सिविल जज(सी0डि0), चन्दौसी,
   - एफ. न्यायालय सिविल जज(सी0डि0), सम्भल स्थित चन्दौसी,
   - जी. न्यायालय सिविल जज(जू0डि0), सम्भल स्थित चन्दौसी,
   - एच. न्यायालय सिविल जज(जू0डि0),/न्या0मजि0, बाह्य न्यायालय सम्भल,
   - आई. न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्या0मजि0, बाह्य न्यायालय गुन्नौर
2. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उपरोक्त न्यायालयों द्वारा अग्रिम आदेश तक (जहाँ तक सम्भव हो) निम्नलिखित प्रकृति के कार्य सम्पादित किए जायेंगे–
   - ए. लम्बित/नवीन जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण,
   - बी. लम्बित व फ्रेश अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण,
   - सी. आवश्यक प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण,
   - डी. निषेधाज्ञा मामलों एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के सिविल प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण,
   - ई. न्यायिक कार्य/विचाराधीन बन्दियों से संबंधित रिमाण्ड कार्य,
   - एफ. अन्य प्रकृति के मामलों से संबंधित कार्य, जिन्हें जनपद न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय आवश्यक एवं उचित समझें,
3. उपरोक्त निर्दिष्ट न्यायालयों द्वारा 10.30 ए.एम. से 02.30 पी.एम. तक कार्य सम्पादित किया जायेगा और यदि 02.30 बजे से पूर्व न्यायिक कार्य पूर्ण कर लिया जाता है तो कार्य पूर्ण होते ही संबंधित न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा न्यायालय परिसर छोड़ दिया जाये।
4. रिमाण्ड/विचाराधीन बन्दियों से संबंधित अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो रिमाण्ड/विचाराधीन बन्दियों से संबंधित अन्य न्यायिक कार्य के लिए JITSI Video-conferencing software का भी प्रयोग किया जा सकता है।
5. न्यायिक सेवा केन्द्र(सेन्ट्रेलाइज फाइलिंग काउन्टर) पर उपरोक्त प्रकृति के नवीन मामले तथा प्रार्थना–पत्र अधिवक्तागण/वादकारीगण से प्रत्येक कार्य दिवस में 12.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। जनपद न्यायालय की डेडीकेटेड ई–मेल–districtcourtsambhal@gmail.com के माध्यम से भी दोपहर 12.00 बजे तक जमानत प्रार्थना–पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अथवा अन्य अति आवश्यक प्रार्थना–पत्र व लिखित बहस प्राप्त किये जा सकेंगे, 12.00 बजे के उपरान्त ई–मेल पर प्राप्त होने वाले संबंधित आवेदनों को अगले कार्य दिवस में प्राप्त किया जायेगा। इसके पश्चात् उक्त नये वादों व प्रार्थना–पत्रों को सी.आई.एस. पर पंजीकृत किया जायेगा। प्रस्तुत किए गए प्रार्थना–पत्र पर अधिवक्ता एवं वादकारियों का विवरण एवं मोबाइल नम्बर, ईमेल आई.डी. अंकित किया जाना आवश्यक होगा। कोई कमी होने पर संबंधित अधिवक्ता को उसी दिन सूचित किया जायेगा, सिस्टम ऑफीसर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6. नोडल ऑफीसर कम्प्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कार्य किए जाने के संबंध में टाइम स्लॉट निर्धारित करेंगे।
7. न्यायालय परिसर में केवल ऐसे विद्वान् अधिवक्तागण एवं वादकारीगण प्रवेश करेंगे, जिनके केसेस/मामले सुनवाई हेतु नियत किए गए हों तथा विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा कार्य पूर्ण होते ही न्यायालय परिसर छोड़ दिया जायेगा।
8. न्यायालय परिसर में वादकारीगण का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा ऐसे वादकारीगण जिनकी न्यायालय में उपस्थिति आवश्यक है, उनके द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु जनपद न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
9. विद्वान् अधिवक्ताओं एवं अनुमति उपरान्त न्यायालय में प्रवेश करने वाले वादकारीगण को तभी न्यायालय परिसर मे प्रवेश दिया जायेगा जिनका कोविड–19 RT-PCR टेस्ट हुआ हो।
10. संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/महामंत्री व अन्य पदाधिकारीगण सम्मानित अधिवक्तागण का प्रवेश, अधिवक्तागण के न्यायालय में कार्य समाप्ति के उपरान्त न्यायालय परिसर छोड़ने के संबंध में अपने स्तर से दिशा निर्देश जारी करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन कराने में सहयोग करेंगे।
11. जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी एवं बाह्य न्यायालय गुन्नौर व सम्भल के न्यायालय परिसर के कन्टेनमेन्ट जोने में होने अथवा कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर होने के संबंध में प्रतिदिन आख्या जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चन्दौसी के प्रशासनिक कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं न्यायालय परिसर कन्टेनमेन्ट जोन में होने की स्थिति में संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/वर्चुअल कोर्ट/JITSI Video-conferencing software के माध्यम से अपने आवासीय कार्यालय से की जायेगी तथा रिमाण्ड/विचाराधीन बन्दियों से संबंधित अन्य न्यायिक कार्य वीडियो कॉफेन्सिंग/JITSI Video-conferencing software के माध्यम से किया जायेगा।
12. संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कम–से–कम कर्मचारीगण को कार्य करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे, जिनकी संख्या 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा कर्मचारीगण को कमावर्तन(Rotation) तौर पर कार्य करने हेतु उपस्थित आने के लिए निर्देशित किया जायेगा।
13. उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन की घोषण की गयी है, उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जब तक कि शासन का उपरोक्त निर्देश प्रभावी रहेगा, तब तक जजशिप सम्भल स्थित चन्दौसी के सभी न्यायालय प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को बन्द रहेंगे तथा उक्त दिवसों मे न्यायालय परिसर एवं न्यायालय/कार्यालय कक्ष आदि का सेनेटाइजेशन का कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
14. प्रभारी अधिकारी विवरण (स्टेटमेन्ट) निस्तारित होने वाले वादों और प्रार्थना–पत्रों के संबंध में सूचना प्रतिदिन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जनपद न्यायालय की ऑफिसियल वेबसाईट पर अपलोड की जाये तथा एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि समस्त समाचार–पत्रों में इस आदेश का प्रकाशन करायें।

नोट– उपरोक्त समस्त व्यवस्था बाह्य न्यायालय सम्भल एवं बाह्य न्यायालय गुन्नौर में भी पीठासीन अधिकारी/उपनाजिर द्वारा करायी जानी सुनिश्चित की जाये।

प्रभारी जनपद न्यायाधीश, 24.4.2021
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल,
5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
6. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सम्भल,
7. जनपद सम्भल की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण को,
8. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), सम्भल,

प्रभारी जनपद न्यायाधीश, 24.4.2021
सम्भल स्थित चंदौसी।